बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सं0सं0–05 / स्था0(आरोप)–18 / 2015 **पटना, दिनांक....................**

आदेश

श्री कौशल किशोर त्रिपाठी, तत्कालीन मोटरयान निरीक्षक, कटिहार(सम्प्रति मोटर यान निरीक्षक, बांका) के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–2104 दिनांक–17.12.2015 द्वारा 1,09,10,246 =00 (एक करोड़ नौ लाख दस हजार दो सौ छियालीस रूपये) के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में भ्र0नि0अधि0–1988 की धारा 13(2) सह–पठित धारा13(1)(ई0) के तहत निगरानी थाना कांड संख्या–102 / 2015दिनांक–08.12.2015 दर्ज किये जाने के फलस्वरूप श्री त्रिपाठी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप–पत्र गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय आदेश संख्या–1975 दिनांक–26.04.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है जिसमें श्री अशोक कुमार झा, संयुक्त परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना (सम्प्रति सेवा निवृत) को संचालन पदाधिकारी तथा श्री बलराम प्रसाद, तत्कालीन अवर सचिव(सम्प्रति उप सचिव), परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकरी नियुक्त किया गया है।

2. संचालन पदाधिकारी की सेवा निवृति के फलस्वरूप श्री त्रिपाठी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने के निमित संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. आरोप–पत्र एवं साक्ष्य की प्रति इसके साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

4. संचालन पदाधिकारी एक पक्ष के भीतर सुनवाई की तिथि निर्धारित कर आरोपित कर्मी को अपना पक्ष रखने हेतु अवसर देंगे एवं जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

ह0 / –
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञाप सं0–05 / स्था0(आरोप)–18 / 2015 151 **पटना, दिनांक**.........16/1/17

प्रतिलिपि:– संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर / गया / जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका / श्री कौशल किशोर त्रिपाठी, मोटरयान निरीक्षक, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

(5)

F:\PIS Docs 104/